भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3791

दिनांक 16.07.2019/25 आषाढ़, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

सातवें वेतन आयोग की बकाया राशि की प्रतिपूर्ति

†3791. श्री वी. वैथिलिंगमः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पुदुच्चेरी विगत तीन वर्षों से सरकार के सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पुदुच्चेरी के छठे वेतन आयोग बकाये के भाग की प्रतिपूर्ति की है और शेष राशि का भुगतान किया जाना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पुदुच्चेरी सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को अपने स्वयं के राजकोष से किए गए सातवें वेतन आयोग बकाये के भुगतान की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा कब तक किए जाने की संभावना है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): पुदुचेरी सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें उनके द्वारा दिनांक 01.01.2016 से कार्यान्वित की गई हैं। 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन से उत्पन्न वेतन और भत्तों तथा पेंशन संबंधी लाभों की बकाया राशि 491 करोड़ रु. है। पुदुचेरी सरकार इस वेतन संशोधन के कारण प्रति वर्ष निम्नानुसार अतिरिक्त व्यय भी करती रही है:

लो.स.अ.प्र.सं. 3791

(करोड़ रु. में)

(i)	वर्ष 2016-17	117. 00
	01 दिनांक).09.28 से 2016.02. (तक 2016	
(ii)	वर्ष 2017-18	375. 70
(iii)	वर्ष 2018-19	515. 30
	कुल	**1008. 00**

(ख): जी, हां। पुदुचेरी सरकार को केंद्रीय सहायता के रूप में 367.67 करोड़ रु. की राशि प्रदान की गई थी।

(ग): 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप वेतन और पेंशन के भुगतान के प्रयोजन के लिए मांगी गई राशि सहित पुदुचेरी सरकार की निधियों संबंधी आवश्यकता को वित्त मंत्रालय के साथ उठाया गया था, जिसने पुदुचेरी सरकार को केंद्रीय सहायता के रूप में बजट अनुमान 2019-20 में 1545.00 करोड़ रु. की राशि आवंटित की है।

*****